

न्यायालय अपर जिला कलक्टर फलोदी, जिला फलोदी

९०

पीठासीन अधिकारी- श्री गोपाल राम बिरडा (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 07 / 2023, जीसीएमएस संख्या :- 2023 / 26
समेकित वाद संख्या 08 / 2023, जीसीएमएस संख्या :- 2023 / 27

प्राथी	बनाम	अप्रार्थी
श्री नारायण कुमावत पुत्र श्री चलोचंद कुमावत जाति- कुमावत निवासी कुम्हासे का बास, बाप जिला फलोदी राज0		1. श्रीमान अभिलेख, बाप जिला फलोदी राज0 2. श्रीमती रुपा देवी पत्नि श्री लूणकरण जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी राज0
श्री नारायण कुमावत पुत्र श्री चलोचंद कुमावत जाति- कुमावत निवासी कुम्हासे का बास, बाप जिला फलोदी राज0		1. श्रीमान अभिलेख, बाप जिला फलोदी राज0 2. संगीदान पुत्र श्री लूणकरण जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी राज0

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित:-

अपीलाण्ट की ओर से:- अधिवक्ता शिकन्दर घोरसी उपस्थित।

रेस्पोंडेण्ट की ओर से:- स.1 की ओर से तहसीलदार उपस्थित।


निर्णय

दिनांक:- 15.04.2024

उक्त उनवान दोनो अपीलो में रेस्पोंडेण्ट माता व पुत्र होने व राजकीय भूमि का नियमन कर नामांतरकरण किया जाने के समान तथ्य होने के कारण एक साथ सुनकर एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। कि अपीलाण्ट ग्राम बाप (वर्तमान नगरपालिका बाप) तहसील बाप जिला जोधपुर का स्थाई निवासी है। ग्राम बाप की समस्त सरकारी गैर सरकारी भूमि में अपीलाण्ट का हित निहित है। ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप में खसरा सं० 639/20 रकबा 0.6637 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन मगरा के रूप में दर्ज थी उक्त भूमि सरकारी भूमि थी जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। श्रीमान तहसीलदार बाप द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 639/20 का खसरा संख्या बदलते हुवे नये खसरा के रूप में 2729/639 एवं 2728/639 अंकित कर जरिये नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित कर दिया। श्रीमान तहसीलदार, बाप द्वारा नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित करते समय पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण में स्वीकृति का आधार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कार्यालय तहसीलदार साहब बाप के आदेश क्रमांक नियमन/2018/1458 एवं आदेश क्रमांक नियमन/2018/1468 दिनांक 31.08.2018 की पालना में नियमन का नामान्तरकरण दर्ज कर जाँच एवं निर्णय कर स्वीकृत किया जाना बताया गया है। वास्तव में उक्त आदेश न तो पारित किया गया और न ही ऐसा कोई आदेश रिकार्ड में उपलब्ध है। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा बिना किसी आदेश बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये हुवे सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द कर रेस्पोंडेण्ट सं० 2 के साथ मिलावट कर विधि विरुद्ध तरिके से उक्त नामान्तरकरण आदेश सं० 1530 दिनांक 28.02.2023 एवं 1529 दिनांक 27.02.2023 को स्वीकृत किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील निम्न आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण निरस्त करने बाबत प्रस्तुत है:-

रेस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 स्वीकृत करने में भूदाननी एवं वाक्यांती भूल की है। रेस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा नामान्तरकरण रेस्पोंडेण्ट सं० 2 के पक्ष में पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था उक्त नामान्तरकरण पारित करने का जो आधार बनाया गया है वह सरासर झुठ एवं मनमाना है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोंडेण्ट सं० 1 के कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत




अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित करने के लिये जो नियमन किया गया था। उक्त नियमन आदेश एवं श्रीमान तहसीलदार बाप के आदेश क्रमांक 1458 एवं 1468 की नकल व सूचना मांगी थी। लेकिन अपीलान्ट को उक्त आदेश की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है बार-बार तकाजा करने पर श्रीमान तहसीलदार, बाप द्वारा अपीलान्ट को सूचित किया गया कि दिनांक 31.08.2018 को जारी आदेश क्रमांक 1458 एवं 1468 की जानकारी पटवारी हल्का बाप से प्राप्त की गयी तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प 2018 के है उक्त रिपोर्ट का राजस्व शाखा में तलाश की गयी उक्त रिपोर्ट राजस्व शाखा में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित करने से पूर्व रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा रैस्पोंडेण्ट सं० 2 के पक्ष में न तो कोई नियमन किया गया था और न ही ऐसा कोई नियमन आदेश राजस्व शाखा उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 बिना किसी आदेश के विधि विरुद्ध तरिके से पारित किया गया है। अपीलान्ट ने रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद तहसीलदार, बाप द्वारा उक्त विवादित भूमि को नियमन करने की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने बाबत अपीलान्ट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बाप को पत्र प्रेषित किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा पत्र क्रमांक 4967 दिनांक 31.03.2023 के जरिये रैस्पोंडेण्ट सं० 1 को पत्र प्रेषित कर अपीलान्ट की शिकायत में वर्णित तथ्यों की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये थे। लेकिन रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी इससे भी नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 संदेहस्पद है। अपीलान्ट द्वारा रैस्पोंडेण्ट सं० 1 के कार्यालय से नियमादेश सं० 1458 एवं 1468 व अन्य समस्त आदेशों की पत्रावली चाही गयी तब रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा उक्त आदेश की तलाश हेतु एक टीम का गठन अपने पत्र क्रमांक 446 दिनांक 06.04.2023 के जरिये किया गया उक्त टीम द्वारा भी उक्त आदेश की तलाश नहीं कर पायी चूंकि उक्त आदेश 2018 में पारित किया जाना बताया गया है जिसको अधिक समय भी नहीं हुआ है। ऐसा आदेश रैस्पोंडेण्ट सं० 1 के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना यह इंगित करता है कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया था और न ही रैस्पोंडेण्ट सं० 2 को किसी प्रकार की कोई गैर मुमकिन आवास भूमि का नियमन ही किया गया था। इसलिये बिना किसी आदेश के पारित नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 विधि की दृष्टि से शुन्य है। पुनः अपीलान्ट ने रैस्पोंडेण्ट सं० 1 के कार्यालय से उक्त नियमादेश सं० 1458 एवं 1468 व उसके संबंधित पत्रावली की नकल चाही गयी जिस पर दिनांक 26.06.2023 को पत्र क्रमांक 534 के जरिये पुनः उक्त रिकार्ड तलाश करने हेतु टीम का गठन किया गया जिसका रिकार्ड मय रिपोर्ट आज दिनांक तक पेश नहीं की गयी है। अंत में अपीलान्ट को रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 533 दिनांक 26.06.2023 के जरिये सूचित किया गया कि उक्त रिकार्ड का राजस्व शाखा में तलाश किया गया परन्तु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुवा है। रिकार्ड की अन्य शाखाओ तलाश हेतु टीम का गठन किया गया है। रिकार्ड उपलब्ध होने पर उपलब्ध करवाया जायेगा लेकिन आज दिनांक रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा अपीलान्ट को नियमादेश की कोई नकल अथवा पत्रावली उपलब्ध नहीं करवायी है समस्त आदेशों एवं पत्रों की फोटो प्रतियाँ साथ सलग्न प्रस्तुत है। नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित करने से पूर्व कोई नियमादेश नहीं किया गया था ओर न ही रैस्पोंडेण्ट सं० 2 किसी भूमि का नियमन करवाने का पात्र था मनमाफिक आदेश का हवाला देकर उक्त नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्यांति भूल की है। रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/ 2023/446 दिनांक 06.04.2023 का हवाला देकर दिनांक 26.06.2023 को रिकार्ड तलाश करने हेतु टीम गठन करने का आदेश पारित किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पूर्व आदेश क्रमांक 446 दिनांक 06.04.2023 की नोटशिट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र रैस्पोंडेण्ट सं० 1 के कार्यालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर टिप्पणी की गयी कि उक्त आदेश जारी नहीं हुवा है। तथा प्रार्थी अपीलान्ट को जानबूझकर उक्त आदेश की भी नकल उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जिससे भी स्पष्ट है कि रैस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित करने से पूर्व न तो कोई



20/04/2024
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 कुल्लु

रेस्पोडेण्ट सं० 2 के पक्ष में नियमादेश पारित किया है न ही नियमन हेतु कोई कार्यवाही ही की। रेस्पोडेण्ट सं० 1 ने बिना किसी आदेश पारित किये विधि विरुद्ध तरिके से रेस्पोडेण्ट सं० 2 से मिलावट कर सरकारी भूमि रेस्पोडेण्ट सं० 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु उक्त आलौच्य नामान्तरकरण पारित कर रेस्पोडेण्ट सं० 2 के नाम उक्त भूमि दर्ज कर दी। रेस्पोडेण्ट सं० 1 ने राजस्थान उप अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत खसरा सं० 639 मौजा बाप किस्म मगरा सिवायचक पर निम्न अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी। सांगीदान, गिरधारीलाल पि० लूणकरण पालीवाल निवासी बाप के विरुद्ध धारा 22 के तहत मुकदमा सं० 85 / 2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.02.2018 को दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 07.01.2019 को किया गया जिस निर्णय के तहत रेस्पोडेण्ट सं० 2 को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया। मोहनराम पुत्र हरचंदराम जाति पालीवाल निवासी बाप के विरुद्ध धारा 22 के तहत मुकदमा सं० 84 / 2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.12.2018 को दर्ज किया था। जिसका निर्णय दिनांक 07.11.2019 को किया गया जिस निर्णय के तहत मोहनराम को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया। शान्तिलाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी बाप के विरुद्ध धारा 22 के तहत मुकदमा सं० 86 / 2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.12.2018 को दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 07.11.2019 को किया गया जिस निर्णय के तहत मोहनराम को उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया गया। पन्नलाल पुत्र खेताराम जाति नाई निवासी बाप के विरुद्ध धारा 22 के तहत मुकदमा सं० 14 / 2021 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.10.2021 को दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 18.11. 2021 को किया गया जिस निर्णय किया गया। उक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश किये थे। रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा दिनांक 07.01.2019 को रेस्पोडेण्ट सं० 2 के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही कर बेदखली करने के आदेश जारी किये गये है तो फिर दिनांक 31.08.2018 को जो नियमादेश का हवाला देकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। कर्तई मानने योग्य नहीं है यदि दिनांक 31.08.2018 को रेस्पोडेण्ट सं० 2 के पक्ष में उक्त भूमि खसरा सं० 639 (परिवर्तित खसरा सं० 2730 / 2729 एवं 2728 / 639) मौजा बाप का नियमन किया जा चुका था तो फिर दिनांक 07.01.2019 को रेस्पोडेण्ट सं० 2 के पुत्र सांगीदान व अन्य के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कैसे की जा सकती है इससे स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2018 को नियमादेश पारित ही नहीं किया गया था मात्र ऐसा आदेश का हवाला देकर नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं० 2 किसी भी भूमि का नियमन करवाने का पात्र नहीं थी क्योंकि वह पूर्व से इसी ग्राम में भूमिधारित किया हुआ है रेस्पोडेण्ट सं० 2 के नाम ग्राम बाप के खसरा सं० 1018 / 3 रकबा 02.10 बीघा व खसरा सं० 1015 रकबा 2.00 बीघा एवं 3.00 बीघा व खसरा सं० 1018 रकबा 3 बीघा भूमि जरिये संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1871 व 1875 एवं 1891 व 1887 दिनांक 26.09.2019 के जरिये स्थित है। उक्त भूमि ग्राम बाप की आबादी भूमि के लगती है। जिस पर रेस्पोडेण्ट सं० 2 काबिज है विधि अनुसार जिस व्यक्ति के पास आवासीय भूमि पूर्व से धारित हो ऐसे व्यक्ति को आवासीय भूमि का नियमन विधि विरुद्ध है। दिनांक 31.08.2018 को जब रेस्पोडेण्ट सं० 2 का अतिक्रमण नियमन कर दिया गया था तो दिनांक 31.03.2022 को पुलिस थाना बाप द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के लिये रेस्पोडेण्ट सं० 2 के पुत्र सांगीदान व अन्य के खिलाफ धारा 107 सीआर पी सी के तहत कार्यवाही की गयी जिसमें रेस्पोडेण्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 04.04. 2022 को हटाना प्रस्तावित था। जिसमे बाधा व अशान्ति भंग होने की संभावना पर रेस्पोडेण्ट सं० 2 के पुत्र सांगीदान व अन्य को जरिये इस्तगासा पाबन्द करवाया गया इससे भी स्पष्ट है। कि दिनांक 31.03.2022 से पुर्व रेस्पोडेण्ट सं० 2 के नाम उक्त अतिक्रमण नियमादेश जारी ही नहीं किया गया था। जब नियमादेश दिनांकित 31.08.2018 वजुद में ही नहीं था। रेस्पोडेण्ट सं० 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट सं० 2 को नाजायज फायदा पहुँचाने की गरज से ग्राम बाप के खसरा सं० 639 / 20 रकबा 0.6637 हैक्टर गैर मुमकिन मगरा सरकारी भूमि मे से रेस्पोडेण्ट सं० 2 के नाम नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 भरकर रेस्पोडेण्ट सं० 2 के नाम खसरा सं०



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

1730/2729 एवं 2728/639 रकबा 0.0418 गैर मुमकिन आवास के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है। जबकि अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई नियमन नहीं किया गया है। उक्त नियम विरुद्ध फर्जी तरीके से किये गये आंवटन आदेश के जरिये पारित म्यूटेशन सं० 1530 भी कपट पूर्वक छल पूर्वक होने से खारिज योग्य है। तथा उक्त म्यूटेशन के जरिये राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट नाम श्रीमती रूपादेवी एवं म्यूटेशन सं० 1529 भी कपट पूर्वक छल पूर्वक होने से खारिज योग्य है। तथा उक्त म्यूटेशन के जरिये राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट नाम सांगीदान के पक्ष में पारित म्यूटेशन प्रभावहीन एवं शुन्य नामान्तरकरण बिना किसी जाँच व लापरवाही से आंवटन का हवाला देकर दर्ज किया गया है।


प्रार्थी की म्यूटेशन अपील दर्ज रजिस्ट्रर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये डाक सम्मन भेजे गये। अपीलान्त अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बाप पटवार हल्का वाप तहसील बाप में खसरा सं० 639/20 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन मुगरा के रूप में दर्ज थी। श्रीमान तहसीलदार बाप द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 639/20 का खसरा संख्या बदलते हुवे नये खसरा के रूप में 2729/639 एवं 2728/639 अंकित कर जरिये नामान्तरकरण सं० 1530 एवं 1529 पारित कर दिया एवम रकबा 0.0418 गैर मुमकिन आवास के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है। उक्त नियम विरुद्ध फर्जी तरीके से किये गये आंवटन आदेश के जरिये पारित म्यूटेशन सं० 1530 एवं म्यूटेशन सं० 1529 भी कपट पूर्वक छल पूर्वक होने से खारिज योग्य है। तथा उक्त म्यूटेशन प्रभावहीन एवं शुन्य नामान्तरकरण बिना किसी जाँच व लापरवाही से आंवटन का हवाला देकर दर्ज किया गया है, जो कि खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। म्यूटेशन अपील अवलोकन एवं अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ग्राम बाप में खसरा सं. 639/20 रकबा 0.6637 भूमि जिसके नये खसरा नं. 2728/639 और 2729/639 अंकित करते हुए तहसीलदार द्वारा अभियान के अन्तर्गत नियमन आदेश पारित किये गये है। उक्त भूमि गैर मुमकिन मगरा भूमि थी। उक्त नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मकान व बाडो के नियमन के रूप में किया गया है। रेस्पोंडेण्ट संगीदान व उसकी माता रूपा देवी गाँव में व्यवसाय करते है। तथा उनके पास पहले से ही काफी भूमि है जिस में से कुछ भूमि का आवासीय रूपांतरण कराकर बैचान भी किया है। अतः वह भूमि हीन व्यक्ति नहीं है। अतः नियमन कराने के हकदार नहीं है। अतः दोनो के पक्ष में किये गये नियमन आदेश खारिज किये जाते है। इन नियमन के आधार पर किये गये नामांतरकरण सं. 1529 दिनांक 27.02.2023 व नामांतरकरण सं. 1530 दिनांक 28.02.2023 निरस्त किये जाते है। तहसीलदार बाप को निदेशित किया जाता है उक्त भूमि को पूर्व वत राजकिय भूमि व किस्म गैरमुमकिन मगरा दर्ज करे।

आदेश

अतः प्रार्थी की अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के आदेश क्रमांक नियमन/2018/1458 एवं आदेश क्रमांक नियमन/2018/1468 दिनांक 31.08.2018 द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 1529 एवं 1530 को खारिज किया जाता है। निर्णय दिनांक 15.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जायित दफतर हो।

~~नामो वकल संख्या 37-32 एवं 37-35 खारिज किया जाता है~~



अतिरिक्त जिला जलकलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फल्गोदी